न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/550

मिसल नम्बर– 60/2023

1. अशोक कुमार आत्मज पन्नालाल जाति गुर्जर
2. नेवलाल आत्मज पन्नालाल जाति गुर्जर
3. मदनलाल आत्मज पन्नालाल जाति गुर्जर
   निवासीगण ग्राम गन्दीफली तह0 लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी

बनाम

1. रामभरोस आत्मज रामनाथ जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम गन्दीफली तह0 लाडपुरा जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा।
3. मनन जैन आत्मज अषोक जैन जाति महाजन
   निवासी गन्दीफली तह0 लाडपुरा जिला कोटा

प्रतिपक्षी

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थिति:–

1.श्री घनश्याम नागर प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री बद्रीप्रकाश शर्मा अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता।

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

- प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम गन्दीफली तह0 लाडपुरा खसरा नम्बर 347 रकबा 1.97 हैक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी से लगवा अप्रार्थी क्रम 1के खातेदारी की ग्राम गन्दीफली मे खसरा नम्बर 337/684 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 1.86 हैक्टर कुल किता 1.93 हैक्टर आराजी स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- प्रार्थीगण की आराजी ग्राम गन्दीफली स्थित 347 रकबा 1.97 हैक्टर की आराजी का रास्ता कैथून से देवली जाने वाला मुख्य रोड के पास स्थित में सरकारी नाले मे से होकर अप्रार्थी की आराजी खिसरा नम्बर 337/684 के सहारे-सहारे होते हुए खसरा नम्बर 336/833 की सिवाचयक आराजी मे मेर से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आते जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने का कोई रास्ता नही है। रास्ते का नक्शा साथ संलग्न है।
- प्रार्थीगण हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकारी नाले से होकर सहारे सहारे सरकारी भूमि मे से होकर अपनी आराजी को हांक जोतकर तैयार किया किन्तु हाल ही मे बरसात होने के बाद अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की आराजी के खसरा नम्बर 347 के रास्ते को हांक कर सरकारी भूमि पर कब्जा कर अपने खेत मे मिलकार रास्ते को मिटा दिया, प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने जाने से रोक दिया तथा प्रार्थीगण बड़ी मुश्किल से हाथ जोडी कर अपनी आराजी का हांककर फसल बोई है किन्तु अप्रर्थी द्वारा धमकी दी कि इस वर्ष तो निकल जाने देगा, लेकिन आयन्दा नही निकलने देगा। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की अपनी आराजी मे आने जाने का कोई रास्ता नही है।

- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 15.06.2023 को अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी को इस वर्ष निकलने देने तथा आयन्दा नही निकलने देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ है।
- **प्रार्थना–** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम गन्दीफली स्थित खसरा नम्बर 347 के आने जाने के कदीमि रास्ते कैथून से देवली मुख्य रोड से लगवा बरसाती नाले से होकर अप्रार्थी की अराजी 337/835 की मेर से होकर रास्ते का खुलासा किया जाकर रास्ते मे आई भूमि की राषि अप्रार्थी को देकर रास्ता बहाल किये जाने के आदेष प्रदान कर। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थी को मिल सके वह भी उपलब्ध करवाये जाने के आदेष प्रदान करे।

प्रतिपक्ष क्रम 1 की आरे से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निम्न जवाब प्रस्तुत किया गयाः–

➢ प्रार्थना पात्र की मद क्रम 3 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नही है, क्योकि प्रार्थीगण की अराजी पर आने जाने का रास्ता नहर की तरफ से पूर्व मे ही बना हुआ है, जिस पर होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आते जाते है, तथा फसल वगैरह भी पूर्व मे स्थित रास्ते से ही निकालते आ रहे है, एवं प्रार्थीगण आराजी पर आने जाने का पूर्व मे रास्ता स्थित है, इसके अलावा प्रार्थीण की आराजी नहर के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किनारे पर स्थित है, जो कि नहर से सम्पूर्ण आराजी लगी हुई है, और नहर पर सार्वजनिक रास्ता स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण एवं अन्य आस–पास के काश्तकार भी निकलते आ रहे है, यदि फिर भी प्रार्थीगण को स्वयं का रास्ता चाहिए तो रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर कैथून की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण नहर पर पुलिया बनाकर अपना रास्ता कायम कर सकते है, हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीण को प्रतिपक्षी क्रम 1 की आराजी मे से रास्ता दिया जाना संभव नही है, क्योकि प्रार्थीण प्रतिपक्षी क्रम 1 के खसरा नम्बर 337/684 तथा 346 की आराजी मे से कभी भी निकलकर नही गये, तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 की उक्त आराजी के सामने भी अन्य खातेदार की आराजी एवं सरकारी सिवायवक आराजी स्थित है, तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 की सम्पूर्ण आराजीयात पर पत्थर का कोट किया हुआ है, जो कि काफी समय से इसी स्थिति मे है, इस कारण प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी क्रम 1 की आराजी मे से होकर रास्ता दिया जाना किसी प्रकार से संभव नही है।

- प्रार्थना पत्र की मद क्रम 4 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नही है, तथा प्रार्थीगण ने इस वर्ष प्रतिपक्षी क्रम 1 की आराजी का कोट जबरन तोडकर निकलने का प्रयास किया था, जिस पर प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा पुलिस थाना कैथून पर परिवाद दिया गया था, जिस पर प्रार्थीगण को भारी जमानत मुचलको पर पावंद दिया गया था।
- जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 28.06.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि:–

- प्रार्थीगण खसरा नम्बर 347 पर पहुंच मार्ग बनाने के लिए खसरा नम्बर 337/684, 337/835 मे से होकर रास्ता चाहने हेतु दावा किया है। खसरा नम्बर 337/684 प्रतिपक्षी क्रम 1 रामभरोस के खाते दर्ज रिकोर्ड है, परन्तु खसरा नम्बर 337/835 ग्राम गन्दीफली मे कही पर भी नही है, प्रार्थीगणों को खसरा नम्बर 347 पर पहुचने के लिए दावा अनुसार कोटा–सांगोद रोड से खसरा नम्बर 292, 293, 337/684 व 337, 336 मे से होते हुए गुजरना पडेगा, खसरा नम्बर 292 व 293 किस्म बंजड व खसरा नम्बर 336 किस्म नहरी प्रथम सिवायचक दर्ज रिकोर्ड है, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.25 है0 मनन जैन पुत्र श्री अशोक जैन के नाम व खसरा 337/684 रकबा 0.35 है0 प्रतिपक्षी के नाम से दर्ज रिकोर्ड है। उक्त खसरा नम्बरान मे से रास्ता निकालने पर निम्न प्रकार रकबा प्रभावित होगा जो निम्न प्रकार से है:–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ख.न.	रकबा	रास्ते मे आने जाने वाला रकबा	दिशा	
292	1.24	12*5=60 वर्ग मीटर	मध्य	मौके पर नाला है।
293	0.07	10*5=50 वर्ग मीटर	मध्य	
336	0.04	22*5=110 वर्ग मीटर	उत्तर दिशा	
337	0.13	12*5=60 वर्ग मीटर	पूर्व दिशा	
337/684	0.35	70*5=350 वर्ग मीटर	पूर्व दिशा	

- अप्रार्थीगण रामभरोस व मनन जैन दोनों ही अपने–अपने खाते की भूमि मे से प्रार्थी को रास्ता देने के लिए तैयार नही है, अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर बताया गया कि प्रार्थी पूर्व से ही नहर की तरफ से निकलते आ रहे है। मौके पर प्रार्थीगण का वैकल्पिक रास्ता नहर की तरफ से बताया गया है। प्रार्थीगणों का ख0स0 347 नहर से लगा हुआ है, नहर का खसरा नम्बर 196 रकबा 1.16 हैक्टर गै.मु.नहर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है, अगर नहर पर पुलिया का निर्माण हो जाता है तो स्थाई रास्ता हो सकता है।

तहसीलदार लाडपुरा से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा 06.05.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट मे निवेदन किया गया है कि:–

- प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 347 में पहुचने के लिए पूर्व मे खसरा संख्या 196 गै0मु0नहर मे पाईप डालकर अस्थाई रास्ता बना रखा था, जिसमे से निकलकर कृषि कार्य किया जाना बताया गया।
- वर्तमान मे प्रार्थीगण कोटा से सांगोद मुख्य सडक से खसरा संख्या 292, 293, 337, 363/684 व 336 मे से होते हुऐ खसरा संख्या 347 पर पहुंच मार्ग बनाने के लिए वाद दायर किया, जिसकी रिपोर्ट मय नजरी नक्षा पर्वू मे ही प्रस्तुत कर दी गई है।
- राजस्व रिकोर्ड के अनुसार खसरा संख्या 292 रकबा 1.24 है0 किस्म बंजड़ दर्ज रिकोर्ड है। परन्तु मौके पर पानी का बहाव क्षेत्र/नाला बना हुआ है जिसमे से बरसात का पानी आता है।
- वादग्रस्त आराजी पर पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा कोटा दिनांक 25.04.2025 एंव भू अभिलेख निरीक्षक कैथून

उपखण्ड अधिकारी
को.

दिनांक 21.04.2025 प्रकरण संख्या 2023/550 मे आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि:–

- उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 347 वाके ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा में नया रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार लाडपुरा कोटा को पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक मौका रिर्पोट धारा 251 (।) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मंगवाई गई थी, जो कि कार्यालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा दिनांक 07–06–2024 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी एवं सभी पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होने के लिये जर्ये नोटिस पाबन्द किया गया था, जिस पर दिनांक 22–05–2024 को मौके पर पहुंचकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पटवारी हल्का गन्दीफली एवं कानूनगो द्वारा रिर्पोट तैयार कर मार्फत तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा श्रीमान के समक्ष पेश की गई थी, जो शामिल पत्रावली है। उक्त मौका रिर्पोट में स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 347 नहर से लगा हुआ है. और नहर का खसरा नम्बर 196 रकबा 1.16 है० गैर मुमकिन नहर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है, अगर नहर पर पुलिया का निर्माण हो जाता है तो स्थाई रास्ता हो सकता है। इसी के साथ नक्शा ट्रेस भी पेश किया गया था, तथा नजरी नक्शा भी बनाकर पेश किया गया था।
- उक्त मौका रिपोर्ट धारा 251 (।) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के परफोर्मा में बनाकर पेश की गई थी, किन्तु उक्त प्रकण में दुबारा रिपोर्ट मंगवाई गई, जो कि माननीय न्यायायल में कार्यालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा दिनांक 25–04–2025 को पेश की गई, जो रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक कैथून द्वारा दिनांक 21–04–2025 को बनाई गई थी, जिसमें प्रार्थीगण का नहर पर पाईप डालकर रास्ता बनाने का कथन किया गया है, और इसी पर से कृषि कार्य करना बताया गया है, तथा अन्त में यह भी दर्शाया गया है कि खसर नम्बर 292 मौके पर पानी का बहाव क्षेत्र है, जो बरसात का नाला है, तथा उक्त रिपोर्ट में आराजी में पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया गया है। जबकि पूर्व रिपोर्ट दिनांक 22–05–2024 को भू–अभिलेख निरिक्षक कैथून द्वारा बनाई गई थी, उक्त रिपोर्ट में नहर वाला रास्ता स्थाई रास्ता बताया गया था, ऐसी स्थिति में एक ही पटवारी, काननगो द्वारा भिन्न–भिन्न रिपोर्ट पेश करने पर संशय पैदा होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रतिपक्षी क्रम 1 उक्त पेश की गई रिर्पोट से सन्तुष्ट नहीं है, तथा प्रार्थी की उक्त आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार लाडपुरा कोटा में कार्यरत अन्य किसी भू–अभिलेख

निरिक्षक से पुनः निष्पक्ष रिपोर्ट मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में बनाने के आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि प्रार्थी प्रतिपक्षी क्रम 1 को न्याय मिल सके।

- आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार लाडपुरा कोटा में कार्यरत अन्य किसी भू-अभिलेख निरिक्षक से पुनः निष्पक्ष रिपोर्ट मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में धारा 251 (।) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्धारित प्रारूप में तैयार करवाकर मंगवाये जाने का आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी क्रम 1 रामभरोस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रार्थी द्वारा लिखित जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :–

- प्रस्तुत प्रकरण रास्ते के संबंध मे है। उक्त प्रकरण लगभग 2 वर्ष से माननीय न्यायालय मे जेरकार है रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने व आराजी पडत रहने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समरिंग प्रोसीडिंग्स है। जिसका निर्णय कानूनी रूप से 3 माह में किया जाना आवश्यक है।
- माननीय न्यायालय द्वारा रास्ते के संबंध मे दो बार रिपोर्ट मंगवायी जा चुकी है उक्त दोनो बार की रिपोर्ट मे प्रार्थी के पास स्थायी रास्ता नही है, के तथ्य वर्णित करने के बाद व प्रतिपक्षी की जानकारी मे होने के बाद भी असत्य कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सारहीन है तथा खारिज किये जाने योग्य है।
- कुछ समय बाद फसल बोने का समय आ जावेगा जिसके कारण प्रार्थीगण को परेशान होना पडेगा, देरी के ध्येय के कारण ही प्रतिपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे
- जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी क्रम 1 का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाकर रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करे।
- बहस सुनी गई।
- अभिभाषक वादी का कथन है कि न्यायालय द्वारा दो बार रिपोर्ट मंगवाई गई। दोनो रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि प्रार्थी के पास स्थायी रास्ता नही है। वही अभिभाषक प्रतिवादी का कथन है कि धारा 251 (।) एक सुविधा है, अधिकार नही है

वादीगण का खेत नहर पर स्थित है तथा नहर से खेत पर जाने के लिए मार्ग बना हुआ है। जिरासे वादीगण अपने अपने खेत आते जाते रहे है। लेकिन मुख्य सांगोद मार्ग से रास्ता चाहने के कारण वादीगण द्वारा पूर्व मे प्रचलित मार्ग को बंद कर दिया गया है। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा इस बाबत मौके की फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये है। अभिभाषक प्रतिवादी का यह भी कथन है कि जिस खसरा नम्बर 292 से रास्ता चाहा गया है वह रिकोर्ड मे तो बंजड दर्ज है लेकिन मौके पर नाला बना हुआ है जिस मे से बरसात का पानी आता है, यदि इस स्थान पर नवीन मार्ग बनाया जाता है तो नाला बाधित होगा तथा खेतों मे बाढ की स्थिति उत्पन्न होगी।

- हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। तथा बहस वकुलाय फरिकेन पर गम्भीरतपूर्वक मनन किया।
- तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रथम रिपोर्ट मे अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण का खेत नहर से लगा हुआ है यदि नहर पर पुलिया का निर्माण हो जाता है तो स्थायी रास्ता हो सकता है। तहसीलदार रिपोर्ट मे यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रार्थीगणों का वैकल्पिक रास्ता नहर की ओर से स्थित है।
- तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 06.05.2025 को प्रस्तुत द्वितीय रिपोर्ट मे भी स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे नहर मे पाईप डालकर अस्थायी रास्ता बना रखा था जिससे निकल कर प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु खेत पर आया जाया करते थे साथ ही तहसीलदार लाडपूरा द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर पहुचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इस दुविधापूर्ण स्थिति मे अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ हमारा मार्गदर्षन करते है, समस्त दस्तावेजों तथा कथनों से यह स्थापित तथ्य है कि प्रार्थी की कृषि आराजी गैर मुमकिन नहर खसरा 196 पर स्थित है तथा नहर पर दुसरी ओर रास्ता बना हुआ है। प्रस्तुत फोटोग्राफ से यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा नहर पर पत्थर डालकर खेत पर जाने का मार्ग बना रखा था उक्त स्थिति मे यह स्थापित हो जाता है कि प्रार्थीगण के खेत पर जाने हेतु रास्ते का आत्यांतिक अभाव नही है।
- हस्तगत प्रकरण मे दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे रेखांकित किया गया है, वह यह है कि, जिस खसरा नम्बर 292 मे से मार्ग चाहा गया है वह राजस्व रिकोर्ड मे तो बंजड दर्ज है लेकिन मौके पर पानी का

उपखण्ड अधिकारी
को.

बहाव क्षेत्र/नाला बना हुआ है जिस मे से बरसात का पानी आता है।

- हमारे विनम्र मत मे अभिभाषक प्रतिवादी का यह कथन न्यायोचित है कि पानी के बहाव क्षेत्र मे रास्ता बनाने से पानी का प्रवाह बाधित होगा तथा आस–पास के खेतों मे पानी भरेगा साथ ही अब्दुल रहमान प्रकरण मे प्रदत्त निर्देश पानी के बहाव क्षेत्र को बाधित करने को प्रतिबंधित करते है।
- उक्त परिस्थितियों मे जब कि प्रार्थीगण के पास मार्ग का आत्यांतिक अभाव नही है तथा चाहा गया मार्ग पानी के बहाव क्षेत्र मे स्थित होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण मे प्रदत्त निर्देषों से प्रभावित है, हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।
- अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा